

12.11.2022

प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत में मेरे समक्ष प्रस्तुत।

आवेदकगण रूकमन, पप्पू, कु. अनीता, कु. गायत्री, कु. सीलू, कु. स्नेहा आवेदक क्रं. 2 लगायत 6 नाबालिग बली सरपरस्त मां श्रीमती रूकमन, मुल्ला साहू सहित श्री आई.सी. अवस्थी अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक अनिर्वाहित, तलबी की आवश्यकता नहीं।

आदेश दिनांक 09.11.2022 के पालन में आवेदक क्रं. 1 श्रीमती रूकमन साहू पत्नी स्व. भल्लू साहू उम्र 33 वर्ष, आवेदक क्रं. 2 लगायत 6 क्रमशः पप्पू, कु. अनीता, कु. गायत्री, कु. सीलू, कु. स्नेहा पुत्र/पुत्रीगण स्व. भल्लू साहू, नाबालिग बलीसरपरस्त मां श्रीमती रूकमन साहू एवं आवेदक क्रं. 7 मुल्ला साहू तनय भगू साहू उम्र 60 वर्ष, निवासीगण ग्राम बरेठी, हॉल बड़ामहलरा, थाना बड़ामहलरा, जिला छतरपुर, म.प्र. को आदेशानुसार भुगतान करने हेतु भारतीय स्टेट बैंक शाखा बिजावर का चैक क्रमांक **144957** एवं बाउचर 12.11.2022 को जारी कर दिया।

आवेदकगण की पहचान श्री आई.सी. अवस्थी अधिवक्ता द्वारा की गयी।

आवेदकगण को पूर्ण राशि का भुगतान हो चुका है। आवेदकगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि संपूर्ण राशि का भुगतान हो चुका है इसलिये पूर्ण संतुष्टि में इजराय प्रकरण निरस्त किया जाये। अतः अधिवक्ता के निवेदन पर प्रकरण पूर्ण संतुष्टि में समाप्त किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार छतरपुर भेजा जावे।

रूपेश कुमार गुप्ता
पीठासीन अधिकारी

लोकअदालत खण्डपीठ क्रमांक-14
एवं प्रथम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
के अति. सदस्य मोटर दुर्घटना दावा
अधिकरण बिजावर, जिला छतरपुर म.प्र.